

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश न्यायिक

समक्ष : एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4108-एक/2015 विरुद्ध आदेश
 10-12-2015 - पारित - व्यासा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,
 मुरैना - प्रकरण क्रमांक 48/2014-15 निगरानी

1 - असर्फीलाल 2 - रामकरन
 दोनों पुत्रगण मेवाराम मल्लाह
 ग्राम भजरा मल्लपुरा मौजा सौरा
 तहसील अटेर जिला भिण्ड, म०प्र०
 विरुद्ध

—आवेदकगण

1 - बालकराम पुत्र रामदयाल
 2 - सुरेश पुत्र आशाराम
 3 - भगवती पुत्र आशाराम
 तीनों जाति मल्लाह निवासी ग्राम
 भजरा मल्लपुरा मौजा सौरा तहसील अटेर, भिण्ड ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
 (अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक २०-५ - २०१६ को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्यासा प्रकरण
 क्रमांक 48/2014-15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक
 10-12-2015 के विरुद्ध यह निगरानी म०प्र० भू राजस्व
 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोंश यह है कि नायब तहसीलदार ठप्पा अटेर
 ने प्रकरण क्रमांक 1/1980-81 अ-19 में पारित आदेश दिनांक
 9-10-80 से आवेदगण के हित में ग्राम सौरा की भूमि सर्वे नंबर
 584/10 रकबा 0.0.418 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित

प्र०

किया गया है) का आवंटन किया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष दिनांक 19-7-2011 को (30 वर्ष 9 माह बाद) अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने प्रकरण क्रमांक 24/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-8-2012 से अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार टप्पा अटेर का आदेश दिनांक 9-10-80 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 48/2014-15 निगरानी में पारित आदेश दि. 10-12-2015 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो के तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि :-

- (1) नायब तहसीलदार टप्पा अटेर के प्रकरण क्रमांक 1/1980-81 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 9-10-80 के विरुद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष दिनांक 19-7-2011 को अर्थात् 30 वर्ष 9 माह बाद अपील प्रस्तुत की है एंव अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने अंतिम आदेश 7-8-2012 को पारित करते समय विलम्ब क्षमा किया है। प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण ने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर आपत्ति (प्रतित्तर) प्रस्तुत किया है जो अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 24/2010-11 अपील में पृष्ठ 25 से 29 तक संलग्न है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने इस पर निर्णय न लेते हुये अंतिम आदेश दि. 7-8-12

MM

MM

पारित करते समय विलम्ब क्षमा किया है।

भू राजस्व संहिता, 1959 (मोप्र०)- धारा 47 - बेलम्बाद प्रस्तुत अपील में सर्वप्रथम समयावधि के बिन्दु पर विचार किया जावेगा, तदुपरांत ही अग्रिम कार्यवाही विचारित होगी।

परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त के विपरीत प्रक्रिया अपनाते हुये जानबूझकर विलम्ब के सम्बन्ध में निर्णय न लेते हुये अंतिम आदेश में विलम्ब क्षमा करने की त्रृटि की गई है।

- (2) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदकगण ने बताया है कि तहसील व्यायालय के भूमि बंटन आदेश दिनांक 9.10.80 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26-6-2011 को रिस्पा० के द्वारा खेत पर अपीलांट की कास्त में अवरोध पैदा किया व पट्टे वावत् कहा तो अपीलांट ने मौजा पटवारी से संपर्क किया तब पटवारी ने व्यायालय से नकलें आदि प्राप्त करने को कहा व कानूनी कार्यवाही हेतु कहा। तब 1-7-11 को नकल प्राप्त कर अपील की गई। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमो के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जब अनावेदकगण को 1-7-11 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई, उन्होंने 19-7-11 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की है, जबकि आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कानुसार नायव तहसीलदार अठेर द्वारा आदेश दिनांक 9-10-80 से आवेदकगण को पट्टा प्रदान किया गया, तदुपरांत राजस्व निरीक्षक/पटवारी ने मौके पर पट्टाग्रहीता को सीमांकन कर कब्जा सौंपा है एव आवेदकगण एव अनावेदकगण एक ही आम के निवासी हैं तब यह नहीं माना जा सकता कि

(JN)

अनावेदकगण को पट्टे की जानकारी यथासमय नहीं हुई।

1. पी०के०रामचन्द्र बनाम स्टेट आफ केरल ए०आई०आर० 1998

सु०को० 2276 का व्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित है कि प्रस्तुत की गई अपील समयवर्जित थी, 601 दिवस का विलम्ब था। विलम्ब क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में समुचित कारण नहीं दर्शाया गया। विलम्ब क्षमा करने से इंकार किया गया।

2. म०प्र०भू राजस्व संहिता, 1959 - धारा 47 सहप्रिति 44 - पटादेश के विरुद्ध 30 वर्ष वाद अपील - अपील आदेश में पटा निरस्त किया गया - ऐसा आदेश अत्यन्त अनुचित एवं अवैध है।


विचाराधीन प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने जानबूझकर एकपक्षकार को लाभ पहुंचाते हुये द्वितीय पक्षकार को प्रोद्भूत अधिकारों को अनदेखा करते हुये अनुचित विलम्ब क्षमा किया है एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने इस पर ध्यान न देने में भूल की है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि पटा प्राप्ति के वाद वादग्रस्त भूमि को बेहड़ से समतल बनाने में एवं सिंचाई का साधन बनाने में आवेदकगण का काफी धन व श्रम खर्च हुआ है परन्तु 30 वर्ष से अधिक अवधि वाद प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण के परिवार को भूखों मरने की स्थिति में ला दिया है। यदि आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कों पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय - भू राजस्व संहिता, 1959 (म०प्र०) - धारा 50 - भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गलतियां की गई - प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण पात्र भूमिहीन बंटिति को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।

इन्दरसिंह तथा अन्य विरुद्ध म०प्र०शासन 2009 रा.नि. 251 से अनुसरित

जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील व्यायालय द्वारा इस्तहार का प्रकाशन सही होना न मानते हुये 3.0 वर्ष 9 माह वाद प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आवेदकगण के हित में हुये भूमि आवंटन को निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी अटेर द्वारा प्रकरण क्रमांक 243/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-8-12 एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/2014-15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-12-2015 वृष्टिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/2014-15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-12-2015 एंव अनुविभागीय अधिकारी अटेर द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-8-12 वृष्टिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। फलस्वरूप नायव तहसीलदार टप्पा अटेर ने प्रकरण क्रमांक 1/1980-81 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 9-10-80 यथावत् रहने से याम सौरा की भूमि सर्वे नंबर 584/10 रकबा 0.0.418 हैवर्टर पर शासकीय अभिलेख में आवेदकगण का नाम पूर्ववत् रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।



(एम.के.सिंह)

सदस्य,

राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश गवालियर